छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 (फाल्गुन-28, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री,वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट,1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री रामदेव राम, धर्मजीत सिंह, सदस्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत दवा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री भोलाराम साहू, लेखराम साहू, सदस्य, धमतरी जिले में राईस मिलरों द्वारा बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. जमा किये बिना धान प्राप्त किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रविशंकर त्रिपाठी, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डॉ. सुभाऊ कश्यप, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, जिला कोरबा के विकासखण्ड कटघोरा अंतर्गत ग्राम देवगांव-कोलिहामुड़ा के बीच स्थित सलिहा नाले पर पुल निर्माण करने,

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य, लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम पंचायत केपी के आश्रित ग्राम अजिरमाकला में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम पंचायत अमदला में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने,

क्रमश: 2

(3) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम रताबा-लखनपुरी-पोड़गांव पहुंच मार्ग की मरम्मत एवं नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम मुनईकला में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iii) ग्राम लट्टीडेरा, कमारपारा-बनबगौद में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम गट्टासिल्ली के कुम्हडाईन पहाड़ी के पास स्टापडेम निर्माण करने,

(4) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पण्डरीपानी से जरहाटोली तक सड़क एवं डुड़की नदी में पुल निर्माण करने,

(5) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) विकासखण्ड दरभा के ग्राम चितापुर में हाई स्कूल खोलने,

(ii) विकासखण्ड तोकापाल के ग्राम करंजी में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(6) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बघौदा स्थित सोन नदी पर एनीकेट निर्माण करने तथा

(7) श्री देवजी पटेल, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौदा में हाई स्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय				
(शेष चर्चा)	(1)	मांग संख्या	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या	35	पुनर्वास
		मांग संख्या	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
3 घंटे	(2)	मांग संख्या	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
		मांग संख्या	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
		मांग संख्या	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	36	परिवहन
		मांग संख्या	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
2 घंटे 30 मिनट	(3)	मांग संख्या	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	34	समाज कल्याण
		मांग संख्या	43	खेल और युवक कल्याण

क्रमशः 3

7. अशासकीय संकल्प

15 मिनट (1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर में ''इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स'' की शाखा खोली जाय.''

40 मिनट (2) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "प्रदेश के प्रत्येक गांव में गौचर भूमि का निर्धारण कर सुरक्षित रखी जाय."

15 मिनट (3) श्री भीमा मंडावी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "दंतेवाड़ा नगर में खेल परिसर का निर्माण किया जाय."

40 मिनट (4) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकासखण्डों का पुन: परिसीमन किया जाय.''

40 मिनट (5) श्री देवजी पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु कृषि भूमि में उद्योग लगाने की अनुमति न दी जाय."

रायपुर
दिनांक 18 मार्च, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.